**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2809**

**उत्तर देने की तारीख : 12.12.2024**

## सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

**2809. श्री केसिनेनी शिवनाथ :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत आबंटित, संवितरित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में सीजीटीएमएसई के अंतर्गत उठाए गए और निपटाए गए दावों की राज्य-वार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में राज्य-वार और जिला-वार कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने और योजना की पहुंच/कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा करांदलाजे)**

(क) : सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) अपने सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) को उनके द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए गए ऋणों के लिए कोलेटरल संबंधी किसी सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना ऋण गारंटी प्रदान करता है। सीजीटीएमएसई एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) कार्यान्वित करती है। सीजीएस केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है और राज्यों को इस तरह से कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है। विगत पांच वर्षों के दौरान आवंटित और संवितरित की गई निधि 9,585.10 करोड़ रुपए है। विगत 5 वर्षों के दौरान सीजीएस के तहत प्रदान की गई गारंटियों की संख्या 52,89,121 है, जिसकी राशि 4,46,511.26 करोड़ रुपए है।

(ख) : विगत पांच वर्षों के दौरान सीजीएस के तहत आंध्र प्रदेश के लिए किए गए और निपटाए गए दावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : विगत पांच वर्षों के दौरान सीजीएस के तहत आंध्र प्रदेश के लिए प्रदान की गई गारंटी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-III और अनुबंध-IVमें दिया गया है।

(घ) : एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा सीजीएस की पहुंच और इसका कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का विवरण नीचे दिया गया है:

i. गारंटी सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया गया।

ii. वार्षिक गारंटी शुल्क संरचना में शुल्क को 2 प्रतिशत वार्षिक की अधिकतम दर से काफी घटाकर 0.37 प्रतिशत वार्षिक कर संशोधन किया गया।

iii. दावा दायर करने और इनके निपटान में सहजता लाने हेतु, एमएलआई द्वारा दावा करते समय कानूनी कार्रवाई से छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है।

iv. विशेष श्रेणी के ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट तथा 85 प्रतिशत कवरेज की शुरुआत की गई है।

*****

**अनुबंध-I**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2809, जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

**सीजीटीएमएसई – दायर किए और निपटाए गए दावों की संख्या- अखिल भारत**

**[राशि करोड़ रुपए में]**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2019-20 | | वित्त वर्ष 2020-21 | | वित्त वर्ष 2021-22 | | वित्त वर्ष 2022-23 | | वित्त वर्ष 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दावा किए गए | निपटाए गए | दावा किए गए | निपटाए गए | दावा किए गए | निपटाए गए | दावा किए गए | निपटाए गए | दावा किए गए | निपटाए गए |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 7 | 8 | 5 | 6 | 20 | 16 | 26 | 20 | 76 | 82 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | **573** | **561** | **499** | **368** | **3,087** | **1,983** | **7,503** | **5,838** | **7,474** | **7,730** |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 278 | 243 | 115 | 146 | 95 | 34 | 145 | 125 | 134 | 170 |
| 4 | असम | 2,002 | 1,659 | 1,244 | 1,140 | 1,982 | 1,462 | 3,007 | 2,685 | 3,062 | 3,240 |
| 5 | बिहार | 2,098 | 1,864 | 1,431 | 1,576 | 3,053 | 2,399 | 4,255 | 3,667 | 5,802 | 6,518 |
| 6 | चंडीगढ़ | 179 | 199 | 58 | 51 | 203 | 150 | 243 | 243 | 165 | 190 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 498 | 508 | 268 | 319 | 1,261 | 1,063 | 1,649 | 1,489 | 1,918 | 1,931 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 20 | 15 | 7 | 8 | 34 | 36 | 46 | 50 | 40 | 48 |
| 9 | दिल्ली | 767 | 818 | 432 | 458 | 2,139 | 1,673 | 2,798 | 2,579 | 2,224 | 2,356 |
| 10 | गोवा | 85 | 85 | 65 | 60 | 142 | 143 | 266 | 263 | 107 | 107 |
| 11 | गुजरात | 1,466 | 1,292 | 782 | 884 | 3,778 | 2,905 | 4,219 | 3,481 | 4,225 | 5,159 |
| 12 | हरियाणा | 633 | 550 | 532 | 503 | 2,209 | 1,716 | 2,637 | 2,202 | 2,993 | 3,108 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 505 | 565 | 327 | 316 | 437 | 399 | 512 | 482 | 1,139 | 1,161 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 497 | 596 | 394 | 278 | 548 | 538 | 487 | 505 | 990 | 1,054 |
| 15 | झारखंड | 2,100 | 2,346 | 1,632 | 1,786 | 2,512 | 2,415 | 2,534 | 2,440 | 3,262 | 3,531 |
| 16 | कर्नाटक | 4,054 | 3,726 | 3,201 | 3,249 | 6,704 | 5,674 | 8,686 | 8,291 | 6,990 | 7,740 |
| 17 | केरल | 3,069 | 3,084 | 2,283 | 2,118 | 4,453 | 3,665 | 7,227 | 7,120 | 6,712 | 6,309 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 3,005 | 2,764 | 2,082 | 2,200 | 5,279 | 4,065 | 12,763 | 10,587 | 13,055 | 12,522 |
| 21 | महाराष्ट्र | 5,929 | 6,193 | 3,639 | 3,842 | 12,214 | 9,419 | 11,395 | 9,893 | 10,555 | 12,343 |
| 22 | मणिपुर | 345 | 373 | 283 | 289 | 117 | 115 | 196 | 193 | 511 | 479 |
| 23 | मेघालय | 105 | 113 | 87 | 78 | 180 | 163 | 209 | 193 | 172 | 177 |
| 24 | मिजोरम | 35 | 28 | 32 | 20 | 40 | 25 | 83 | 77 | 186 | 174 |
| 25 | नागालैंड | 247 | 237 | 224 | 195 | 174 | 99 | 234 | 348 | 157 | 147 |
| 26 | ओडिशा | 1,898 | 2,138 | 1,183 | 1,256 | 3,164 | 2,345 | 2,961 | 2,630 | 4,953 | 5,223 |
| 27 | पुडुचेरी | 69 | 51 | 31 | 35 | 176 | 123 | 130 | 141 | 238 | 226 |
| 28 | पंजाब | 1,041 | 937 | 525 | 495 | 2,188 | 1,656 | 2,357 | 1,893 | 2,659 | 3,005 |
| 29 | राजस्थान | 810 | 820 | 511 | 481 | 3,516 | 2,197 | 3,919 | 3,099 | 5,005 | 5,477 |
| 30 | सिक्किम | 8 | 7 | 6 | 3 | 15 | 9 | 46 | 45 | 57 | 40 |
| 31 | तमिलनाडु | 3,180 | 3,157 | 1,961 | 2,062 | 8,375 | 6,453 | 9,839 | 9,039 | 9,893 | 11,272 |
| 32 | तेलंगाना | 1,041 | 909 | 953 | 787 | 3,660 | 3,169 | 3,891 | 3,529 | 2,600 | 3079 |
| 33 | त्रिपुरा | 143 | 121 | 187 | 156 | 115 | 77 | 156 | 141 | 258 | 262 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 8,562 | 6,800 | 3,975 | 5,002 | 9,206 | 7,420 | 15,031 | 13,607 | 19,619 | 20,334 |
| 35 | उत्तराखंड | 359 | 301 | 252 | 287 | 801 | 626 | 1,078 | 920 | 1,409 | 1,534 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 1,380 | 2,130 | 923 | 1,042 | 4,216 | 3,316 | 4,989 | 4,463 | 5,443 | 5,892 |
| | **कुल** | **46,988** | **45,198** | **30,134** | **31,497** | **86,093** | **67,548** | **1,15,518** | **1,02,278** | **1,24,089** | **1,32,622** |

**नोट:**

निम्नलिखित कारणों से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या उसी वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए दावों की संख्या से अधिक है:

1) वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान किए गए दावों का निपटान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

2) एमएलआई द्वारा अपर्याप्त सूचना प्रस्तुत करने के कारण वापस किए गए दावों तथा आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः दर्ज किए जाने पर ऐसे दावों का निपटान।

स्रोत: सीजीटीएमएसई

**अनुबंध-II**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2809, जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-II

**सीजीटीएमएसई – दावा किए गए और निपटाए गए दावों की संख्या- आंध्र प्रदेश**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **[राशि करोड़ रुपए में]** | | | | | | | | | |
| | | वित्त वर्ष 2019-20 | | वित्त वर्ष 2020-21 | | वित्त वर्ष 2021-22 | | वित्त वर्ष 2022-23 | | वित्त वर्ष 2023-24 | |
| क्र.सं. | जिला | दावा किए गए | निपटाए गए | दावा किए गए | निपटाए गए | दावा किए गए | निपटाए गए | दावा किए गए | निपटाए गए | दावा किए गए | निपटाए गए |
| 1 | अनंतपुर | 25 | 27 | 55 | 30 | 374 | 302 | 980 | 639 | 615 | 648 |
| 2 | चितूर | 123 | 116 | 24 | 35 | 345 | 196 | 809 | 542 | 320 | 383 |
| 3 | कडप्पा (वाईएसआर) | 13 | 15 | 14 | 17 | 109 | 74 | 302 | 241 | 196 | 215 |
| 4 | पूर्वी गोदावरी | 28 | 17 | 46 | 18 | 266 | 163 | 374 | 295 | 1,162 | 1,121 |
| 5 | गुंटूर | 35 | 39 | 27 | 37 | 495 | 292 | 691 | 542 | 1,065 | 1,058 |
| 6 | कृष्ण | 69 | 77 | 76 | 59 | 440 | 262 | 1,013 | 864 | 670 | 769 |
| 7 | कुरनूल | 23 | 33 | 62 | 27 | 151 | 102 | 601 | 496 | 381 | 395 |
| 8 | नेल्लोर | 36 | 26 | 11 | 10 | 230 | 140 | 713 | 659 | 391 | 430 |
| 9 | प्रकाशम | 109 | 105 | 26 | 16 | 115 | 72 | 322 | 280 | 223 | 229 |
| 10 | श्रीकाकुलम | 14 | 19 | 22 | 14 | 54 | 42 | 181 | 105 | 610 | 637 |
| 11 | विशाखापत्तनम | 73 | 62 | 74 | 54 | 261 | 176 | 686 | 528 | 547 | 562 |
| 12 | विजयनगरम | 13 | 10 | 35 | 22 | 47 | 29 | 93 | 63 | 259 | 270 |
| 13 | पश्चिम गोदावरी | 12 | 15 | 27 | 29 | 200 | 133 | 738 | 584 | 1,035 | 1,013 |
| | **कुल** | **573** | **561** | **499** | **368** | **3,087** | **1,983** | **7,503** | **5,838** | **7,474** | **7,730** |

**नोट:**

निम्नलिखित कारणों से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या उसी वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए दावों की संख्या से अधिक है:

1) वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान किए गए दावों का निपटान आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

2) एमएलआई द्वारा अपर्याप्त सूचना प्रस्तुत करने के कारण वापस किए गए दावों तथा आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः दर्ज किए जाने पर ऐसे दावों का निपटान।

स्रोत: सीजीटीएमएसई

अनुबंध-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2809, जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-III

**सीजीटीएमएसई – दावा किए गए और निपटाए गए दावों की संख्या- आंध्र प्रदेश**

[राशि करोड़ रुपए में]

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2019-20 | | वित्त वर्ष 2020-21 | | वित्त वर्ष 2021-22 | | वित्त वर्ष 2022-23 | | वित्त वर्ष 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 264 | 29 | 329 | 25 | 374 | 35 | 495 | 50 | 600 | 128 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | **50,562** | **1,557** | **1,63,610** | **1,560** | **49,848** | **1,456** | **2,37,520** | **3,545** | **79,938** | **5,395** |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 415 | 47 | 464 | 55 | 628 | 82 | 935 | 147 | 981 | 198 |
| 4 | असम | 14,070 | 687 | 12,158 | 673 | 14,918 | 1,262 | 21,195 | 2,156 | 34,556 | 3,750 |
| 5 | बिहार | 24,531 | 1,303 | 22,317 | 1,086 | 24,217 | 1,661 | 42,360 | 3,468 | 1,13,262 | 8,582 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1,778 | 134 | 1,274 | 97 | 1,382 | 159 | 1,706 | 303 | 2,459 | 604 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 14,022 | 706 | 12,970 | 552 | 9,670 | 776 | 17,733 | 1,569 | 25,845 | 2,968 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 447 | 59 | 726 | 50 | 447 | 101 | 505 | 111 | 1,039 | 277 |
| 9 | दिल्ली | 24,917 | 2,183 | 12,757 | 1,557 | 15,810 | 2,769 | 21,458 | 4,897 | 35,127 | 8,527 |
| 10 | गोवा | 2,594 | 183 | 2,235 | 135 | 2,218 | 174 | 2,826 | 325 | 4,947 | 611 |
| 11 | गुजरात | 58,595 | 3,859 | 40,397 | 2,960 | 34,929 | 4,836 | 43,336 | 8,209 | 1,06,073 | 19,668 |
| 12 | हरियाणा | 25,916 | 1,583 | 18,499 | 1,218 | 22,285 | 2,707 | 30,343 | 5,025 | 48,455 | 8,553 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 7,538 | 437 | 8,572 | 487 | 10,075 | 792 | 14,898 | 1,275 | 20,600 | 2,080 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 12,887 | 416 | 21,371 | 714 | 38,352 | 1,295 | 51,431 | 1,808 | 53,295 | 2,415 |
| 15 | झारखंड | 15,340 | 1,116 | 14,996 | 860 | 12,953 | 1,247 | 21,090 | 2,488 | 34,800 | 4,432 |
| 16 | कर्नाटक | 68,572 | 4,069 | 50,974 | 3,225 | 41,028 | 4,308 | 53,766 | 7,712 | 1,35,959 | 14,016 |
| 17 | केरल | 33,739 | 1,248 | 28,810 | 1,005 | 18,937 | 1,104 | 25,761 | 2,121 | 45,515 | 4,590 |
| 18 | लद्दाख | 26 | 2 | 110 | 12 | 205 | 23 | 467 | 44 | 637 | 84 |
| 19 | लक्षद्वीप | 52 | 1 | 72 | 2 | 11 | 1 | 25 | 3 | 7 | 1 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 40,822 | 2,098 | 60,835 | 1,893 | 64,108 | 2,651 | 50,289 | 5,290 | 75,023 | 9,569 |
| 21 | महाराष्ट्र | 83,709 | 5,808 | 71,850 | 4,416 | 56,027 | 6,840 | 66,055 | 11,926 | 1,29,892 | 23,359 |
| 22 | मणिपुर | 939 | 42 | 830 | 41 | 1,294 | 101 | 2,268 | 171 | 1,580 | 111 |
| 23 | मेघालय | 1,153 | 70 | 1,063 | 60 | 886 | 93 | 1,410 | 160 | 1,693 | 252 |
| 24 | मिजोरम | 473 | 29 | 431 | 30 | 1,029 | 86 | 1,032 | 74 | 1,232 | 73 |
| 25 | नागालैंड | 917 | 61 | 1,120 | 68 | 1,692 | 139 | 1,813 | 162 | 1,563 | 160 |
| 26 | ओडिशा | 26,167 | 1,347 | 28,288 | 1,134 | 25,788 | 1,801 | 34,081 | 3,045 | 56,392 | 6,109 |
| 27 | पुडुचेरी | 1,578 | 80 | 1,588 | 67 | 1,013 | 74 | 1,087 | 107 | 2,418 | 233 |
| 28 | पंजाब | 24,542 | 1,022 | 20,379 | 865 | 23,172 | 1,661 | 49,720 | 4,385 | 81,259 | 9,632 |
| 29 | राजस्थान | 41,289 | 1,998 | 32,883 | 1,441 | 38,622 | 2,553 | 72,391 | 5,366 | 85,848 | 9,180 |
| 30 | सिक्किम | 435 | 23 | 340 | 16 | 479 | 34 | 765 | 61 | 1,108 | 102 |
| 31 | तमिलनाडु | 89,725 | 4,353 | 61,535 | 3,344 | 44,897 | 4,134 | 61,883 | 7,114 | 1,13,815 | 15,061 |
| 32 | तेलंगाना | 39,162 | 2,212 | 22,021 | 1,408 | 24,009 | 1,959 | 29,792 | 3,503 | 41,940 | 6,368 |
| 33 | त्रिपुरा | 1,378 | 54 | 1,673 | 58 | 2,020 | 115 | 3,845 | 207 | 6,523 | 381 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 89,271 | 4,154 | 78,655 | 3,727 | 86,616 | 5,628 | 1,30,769 | 10,742 | 2,47,258 | 21,200 |
| 35 | उत्तराखंड | 11,158 | 482 | 9,671 | 441 | 10,048 | 629 | 16,296 | 1,177 | 26,361 | 2,253 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 37,667 | 2,398 | 29,789 | 1,618 | 37,033 | 2,887 | 54,440 | 6,036 | 1,06,073 | 11,887 |
| | **कुल** | **8,46,650** | **45,851** | **8,35,592** | **36,899** | **7,17,020** | **56,172** | **11,65,786** | **1,04,781** | **17,24,073** | **2,02,807** |

स्रोत: सीजीटीएमएसई

**अनुबंध-IV**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2809, जिसका उत्तर दिनांक 12.12.2024 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-IV

| सीजीटीएमएसई – दावा किए गए और निपटाए गए दावों की संख्या- आंध्र प्रदेश | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [राशि करोड़ रुपए में] | | | | | | | | | |
| | | वित्त वर्ष 2019-20 | | वित्त वर्ष 2020-21 | | वित्त वर्ष 2021-22 | | वित्त वर्ष 2022-23 | | वित्त वर्ष 2023-24 | |
| क्र.सं. | जिला | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | अनंतपुर | 6,097 | 233 | 11,553 | 108 | 4,141 | 133 | 36,222 | 438 | 8,151 | 447 |
| 2 | चित्तूर | 3,349 | 91 | 11,818 | 113 | 3,040 | 87 | 4,020 | 176 | 5,433 | 353 |
| 3 | कडप्पा (वाईएसआर) | 1,979 | 53 | 6,164 | 34 | 2,013 | 60 | 20,029 | 228 | 6,568 | 317 |
| 4 | पूर्वी गोदावरी | 5,120 | 144 | 27,568 | 196 | 5,525 | 136 | 13,654 | 271 | 8,162 | 471 |
| 5 | गुंटूर | 5,876 | 158 | 27,784 | 167 | 5,492 | 146 | 25,643 | 346 | 5,902 | 558 |
| 6 | कृष्ण | 6,692 | 222 | 16,373 | 197 | 6,080 | 221 | 25,176 | 445 | 9,687 | 708 |
| 7 | कुरनूल | 3,351 | 78 | 10,192 | 88 | 3,831 | 101 | 28,258 | 298 | 7,773 | 327 |
| 8 | नेल्लोर | 3,433 | 88 | 7,821 | 107 | 1,699 | 83 | 28,359 | 298 | 6,543 | 446 |
| 9 | प्रकाशम | 2,660 | 80 | 4,054 | 74 | 3,842 | 95 | 23,961 | 253 | 4,616 | 341 |
| 10 | श्रीकाकुलम | 1,789 | 44 | 6,900 | 65 | 3,406 | 40 | 3,066 | 73 | 2,620 | 141 |
| 11 | विशाखापत्तनम | 4,918 | 219 | 8,172 | 202 | 3,823 | 206 | 10,934 | 397 | 6,957 | 762 |
| 12 | विजयनगरम | 1,450 | 44 | 5,097 | 72 | 1,608 | 43 | 2,047 | 65 | 2,339 | 164 |
| 13 | पश्चिम गोदावरी | 3,848 | 104 | 20,114 | 137 | 5,348 | 104 | 16,151 | 259 | 5,187 | 360 |
| | **कुल** | **50,562** | **1,557** | **1,63,610** | **1,560** | **49,848** | **1,456** | **2,37,520** | **3,545** | **79,938** | **5,395** |

स्रोतः सीजीटीएमएसई